रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939
No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि. 277(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 में :-

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर तथा उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";

(ख) अनुसूची मैं :-

(i) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) प्रयोगशाला सहायक – 2 के पद से संबंधित क्रम संख्या (1) में :-

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)";

(ख) स्तंभ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन "ऐसे प्रयोगशाला सहायक-3 जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20,200/- रूपये + ग्रेड वेतन 1900/- रूपये मैं आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"ऐसे प्रयोगशाला सहायक – 3 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900-63,200 रु.) में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो ।";

(iii) स्तंभ (4) में प्रयोगशाला सहायक –3 के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)"

(iv) स्तंभ (4) में उपकरण निर्माता के पद से संबंधित क्रम संख्या (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21,700-69,100 रु.)"

[फा. सं. क-12018/14/2012-प्रशा.III.ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में सा.का.नि. 234(अ) दिनांक 30 मार्च, 2015 मे प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "C" posts) Recruitment Rules, 2015), namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "C" posts) Recruitment Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "C" posts) Recruitment Rules, 2015),-

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification, level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.";

(b) In the Schedule,-

(i) in column (4), for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix";

(ii) against serial number 1 relating to the post of Laboratory Assistant II,-

(A) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level – 4 in the Pay Matrix (Rs.25,500-81,100)";

(B) in column (11), under the heading "Promotion", for the words and figures "Laboratory Assistant–III with eight years regular service in the pay band 1 of Rs.5,200-20,200/- with grade pay of Rs.1900/- ", the following shall be substituted, namely:-

"Laboratory Assistant-III with eight years of regular service in Level – 2 in the Pay Matrix (Rs.19,900-63,200)";

(iii) against serial number 2 relating to the post of Laboratory Assistant-III, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level–2 in the Pay Matrix (Rs.19,900-63,200)";

(iv) against serial number 3 relating to the post of Instrument Maker, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level–3 in the Pay Matrix (Rs.21,700-69,100)".

[F.No. A-12018/14/2012-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 234(E), dated the 30th March, 2015

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.23 23:02:12 +05'30'